संख्या– 117/VI-I/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

देहरादून : दिनांक 3 मार्च, 2005

संस्कृति अनुभाग :

विषयः– उत्तरांचल में गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–1669/सं0नि0उ0/दो–3/2004–05, दिनांक 22 मार्च, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के विवरणानुसार अंकित–4 गैर सरकारी संस्थाओं के स्तम्भ–5 के विवरण के अनुरूप कुल रू0 3.90 लाख (रूपये तीन लाख नब्बे हजार मात्र) अनुदान के रूप में स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि लाख में)

क0सं0	संस्था का नाम	वित्तीय सहायता का उद्देश्य	अनुदान की मांग	स्वीकृत धनराशि
1	सचिव, रमेन्द्र कोटनाला, वातायन(रजि0) सुमनधुरी, देहरादून	नाट्यकार्यशाला के आयोजन हेतु	0.60	0.50
2	श्रीमती निमा चन्दा, व्यवस्थापक, हिमालयन जन सेवक समिति, मल्या धन्या, राजपुर रोड़, अल्मोड़ा।	वाद्य यन्त्रों एवं वेशभूषा के क्रय हेतु	2.24	1.20
3	महासचिव, संजय प्रकाश, सुमन शिक्षण एवं समाज उत्थान, रौंतला पट्टी, उत्तरकाशी	संस्था को उपकरण के क्रय हेतु	2.96	1.00
4	अध्यक्ष, नाट्य भूषण, लक्ष्मी नारायण, दून घाटी रंगमंच, देहरादून	नाटकों एवं लोक नृत्यों हेतु वेशभूषा वाद्य यन्त्रों के क्रय हेतु	1.61	1.20
	योग–		7.41	3.90

(रूपये तीन लाख नब्बे हजार मात्र)

2–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3–उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4–इन संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों/प्रोजेक्ट की हार्ड व सापट प्रतियां जैसा लागू है, में पाँच प्रतियों में संस्कृति विभाग को अभिलेखों के रूप में उपलब्ध करायें।

5– आगामी वर्षों में सरकारी संस्थाओं को अनुदान मद में धनराशि एक नियमावली तैयार कर उसके अधीन ही दिया जायेगा। अतः एक माह के भीतर नियमावली का प्रारूप तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

6–धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

7–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान सख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन–03–स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मानक मद के नामें डाला जायेगा।
8–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–1993/वि0अनु0–2/2005, दिनांक 31 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– VI-I/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त विभाग।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
6– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।